JD (SAGY) आयुक्त 29/12/14

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

::आदेश::

भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर, 2014

क्रमांक एफ 19–111/2014/1/4:: राज्य शासन एतद द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के तहत शमिल कि जाने वाली योजनाओं, विभिन्न विभागो की गतिविधियों के बीच समन्वय तथा योजना की सतत् समीक्षा हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति गठन करता है। इस समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में आयोजित की जावेगी ।

1	श्रीमती अरुणा शर्मा, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, श्रम विभाग ।	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय विभाग ।	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग ।	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग ।	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, उर्जा विभाग ।	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग ।	सदस्य
11.	सचिव, पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग ।	सदस्य
12.	आयुक्त मनरेगा ।	सदस्य
13.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम	सदस्य
14.	श्री रघुवीर श्रीवास्तव, आयुक्त पंचायत राज्य ।	सदस्य सचिव

2/ राज्य स्तरीय समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे :–

1. केन्द्रीय एस.ए.जी.वाई दिशा –निर्देशो के अनुपूरक और विभिन्न राज्य योजनाओ को ध्यान में रखते हुए राज्य विशिष्ट अनुदेश जारी करना । इसमें ग्रम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरो के कर्मियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित की जानी चाहिए ।
2. निर्धारित समय– सीमाओं में प्रमुख आउटपुटों की प्राप्ती सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्गमन क्षेत्रों की ग्राम विकास योजनाओं की समीक्षा करने और आवश्यक होने पर परिवर्तनो के सुझाव देना ।
3. कार्यान्वयन की समीक्षा करना और वेब आधारित निगरानी प्रणाली के अनुपूरक के रुप में निगरानी तंत्र निर्धारित करना ।
4. रुकावटों और अपेक्षित तकनीकी एवं प्रशासकीय सहायता का निर्धारण करना तथा समय –समय पर आवश्यक अनुदेश/ सरकारी आदेश जारी करना ।
5. राष्ट्रीय स्तर की समितियो के साथ यथापेक्षित समन्वय करना ।
6. आदर्श गांवो के प्रकटीकरण दौरानें की समय–सारणी तैयार करना और सर्वोत्तम कार्यो के प्रचार–प्रसार की राज्य योजना तैयार करना ।

निरंतर.........

7. इस योजना के संबंध में अंतविभागीय शिकायत निपटान तंत्र की रुपरेखा तैयार करना जो कि योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार प्रभारी अधिकारी और जिले के स्तर पर स्थापित किया जायेगा।

<u>**संलग्नः– दिशा निर्देश ।**</u>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11.12.14
(श्याम बाई धुर्वे)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 कमांक एफ 19–111/2014/1/4 भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
3., पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित।
4. उप संचालक, जनसंपर्क, मंत्रालय प्रकोष्ठ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

11.12.14
अवर सचिव
म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

11.12.14